

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

15/2025

बाल कृष्ण मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा निवासी संतोष नगर टोंक तहसील व
जिला टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 01.04.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

प्रकरण श्री जगदीश मिश्रा बनाम भगवतीलाल की पत्रावली की फोटो प्रतियां दिलाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 206 दिनांक 13.02.2025, 317 दिनांक 27.02.2025, 403 दिनांक 18.03.2025 व 456 दिनांक 27.03.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 399 दिनांक 27.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 34 दिनांक 15.01.2025 व 391 दिनांक 21.03.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर टोंक